


इसे वेबसाइट [www.govtexpress.mil.in](http://www.govtexpress.mil.in) से भी आसन कोड क्रिया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

प्रसंगिक 584]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पृष्ठ 6, संक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, बरहलम भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना क्र. 64-एन-1-19-2009-अदृश-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में नगर परिषद् के लिए संक्रमणशील क्षेत्र तथा नगरपालिका के लिये लघुतर नगरीय क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में नगर निगमों के लिए लघुतर नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रावधान है.

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नगर परिषद्/नगरपालिका/नगर निगम के गठन का मापदण्ड जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

नगर परिषद्	—	20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या
नगरपालिका	—	50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या
नगर पालिका निगम	—	3,00,000 से अधिक जनसंख्या

इसके अतिरिक्त संक्रमणशील क्षेत्र के गठन हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है:—

- जनसंख्या 20 हजार से कम न हो. इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत भवन जनसंख्या हो.
- प्रकारणाधीन विकास में कृषि इतर गतिविधियाँ संचालित हो तथा इन गतिविधियों में 50 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हो.
- अंतर्गत होने वाले विकास का स्वयं को राज्य कम से कम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष हो.
- प्रकारणाधीन विकास में स्थित कुल भवनों में से 30 प्रतिशत भवन संरक्षक की परिधि में आते हों अर्थात् इनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800.00 रुपये से कम न हो.
- प्रकारणाधीन विकास के पूरे क्षेत्र में जल प्रदाय विभा जा रहा हो.
- प्रकारणाधीन विकास में लगने वाले बाजार, पशु बाजार, आस-पास की अन्य ग्राम प्रदायकों की तुलना में अधिक राजस्व देने वाले हों.
- ग्राम पंचायत का स्वयं का भवन होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी बैठ सकें और 15 पार्षद बैठक कर सकें.
- प्रकारणाधीन विकास में कुल सड़कों की लम्बाई की 30 प्रतिशत सड़कें/गलियाँ एककी होना चाहिये.
- विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत विकास के अधिकतर क्षेत्र में विद्युत खम्भे स्थापित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव

1167

नियंत्रण, सामाजिक धर्म तथा विद्वान समिति, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

असाधारण राजपत्र  
उप संचालक एवं विकास  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुमानित सचिव  
मध्य प्रदेश शासन